# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

## ( पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस. )

**प्रकरण (दावा)सं0––150/2016**

**प्रविष्टि दिनांक ––10.8.2016**

**उनवान**

1. रतिराम पुत्र किशना, जाति माली निवासी ग्राम मेहमूदगंज, तहसील व जिला टोंक
2. श्योजी पुत्र किशना जाति माली निवासी ग्राम मेहमूदगंज, तहसील व जिला टोंक
3. रामबिलास पुत्र किशना जाति माली निवासी ग्राम मेहमूदगंज, तहसील व जिला टोंक

–वादी/आवेदक

बनाम

1. केदार पुत्र राधाकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मेहमूदगंज, तहसील व जिला टोंक
2. रामसहाय पुत्र पोखर गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेहमूदगंज तहसील व जिला टोंक
3. कालू पुत्र जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेहमूदगंज तहसील व जिला टोंक
4. राजाराम पुत्र मोहन गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेहमूदगंज तहसील व जिला टोंक
5. बालू पुत्र रामनारायण गुर्जर गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम मेहमूदगंज तहसील व जिला टोंक

– प्रतिवादी

उपस्थित–श्री सीताराम विजय–वकील वादी/आवेदक
श्री विजेन्द्र गोयल वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी
श्री योगेश व्यास–वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी

## आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

दिनांक– 15/03/18

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 224, 225, 226, 228, 229, 235 है एवं ख.न. 227 मे गै.मु. चाह है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो मे जाने के लिए ख.न. 241 गै.मु. रास्ता एवं 230, 212, 213 अन्य खातेदारो की भूमि है जिसके मध्य से कदीमी रास्ता चला आ रहा है। जिसका प्रयोग प्रार्थीगण करते आ रहे है। उक्त रास्ते को केदार पुत्र राधाकिशन आदि ने जबरन बंद कर दिया। उक्त रास्ते को बंद करने से प्रार्थीगण अपने खेतो व कुए पर जाने मे परेशानी हो रही है। अतः उक्त रास्ते को खुलासा किया जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार प्रार्थीगण के खेतो ख.न. 226, 225, 227 मे जाने का रास्ता गांव मे से होकर आरजी ख.न. 211 तथा ख.न. 214 के पश्चिम दिशा मे होकर ख.न. 225 तक जाता है। उक्त रास्ता राजस्व शीट मे भी अंकित है। ख. न. 225 आवेदक का है। ख.न. 230 मे कोई कदीमी रास्ता नही है। जब ख.न. 230 मे कोई रास्ता ही नही है तो उसे बंद करने का प्रश्न ही नही उठता है। प्रार्थीगण द्वारा शीट मे बने रास्ते का ही प्रयोग किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर विपक्षी की भूमि मे से रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते बाबत एक वाद सिविल स्थाई निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश महोद क0ख0 टोंक के समक्ष पेश किया था। जिसका उनवान रतिराम बनाम केदार है। उक्त वाद को खारिज कर दिया गया है जिसके अनुसार ख.न. 230 मे कोई रास्ता नही है प्रार्थीगण ख.न. 211, 216 के सार्वजनिक रास्ते का उपयोग कर सकते है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद के तथ्य छुपाते हुए वाद पेश किया है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है वह मौके

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

के अनुसार नही है। पटवारी ने रिपोर्ट मे ख.न. 211, 216 व 214 मे अंकित रास्ते को नही बताया है। ख.न. 230 मे रास्ता होना व उसे बंद किया जाना अंकित किया है जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर नही है। विपक्षी ने ख.न. 230 का सीमाज्ञान करवाया था जिसमे पटवारी ने कोई रास्ता अंकित नही किया है। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर मे कोई रास्ता नही है आवेदन खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे निर्णय दिनांक 23.3.2013 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 टोंक , नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान प्रारूप, , रिपोर्ट तहसीलदार टोंक, रिपोर्ट पटवारी, जमाबंदी संवत 2069–72, 2073–76 आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे तहसीलदार टोंक से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं विपक्षी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने बहस के दौरान अपने अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, जवाब, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया । जमाबंदी संवत 2069–72 से ख.न. 230 विपक्षी की खातेदारी मे होना साबित है। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण पूर्व मे ख.न. 241 गै.मु. रास्ते से ख.न. 230, 212, 213 के बीच की मेड से होकर आते जाते थे अब खातेदारो ने मेर बाड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। ख.न. 212, 213 व 230 अन्य खातेदारो की खातेदारी मे है। ख.न. 230, 212, 213 के बीच की मेड से दो गटठे रास्ता प्राप्त करना चाहता है जिसका रकबा 230 मे से 3 बिस्वा, 212 मे से 1 बिस्वा व 213 मे से 2 बिस्वा है। हमने नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया , नक्शा ट्रेस के प्रार्थीगण की खातेदारी के नजदीकी रास्ता ख.न. 241 मे पहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' के अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना हो,और यदि मामला पारस्पिरिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है, इसकी उपधारा के अनुसार दिये गये मार्ग को राजस्व अभिलेखो मे 'रास्ता' के रूप मे अभिलिखित की जायेगी। अतः उक्त अधिनियम के तहत सुखाचार में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

## आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदक को उसकी खातेदारी की भूमि ख.न. 224, 225, 226, 228, 229, 235 मे आने जाने के लिए ख.न. 241 गै.मु रास्ता मे से होकर ख.न. 230, 212, व 213 की मेड पर होते हुए 15 फिट रास्ता ख.न. 226 व 227 की सीमा तक 1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 मे नयी धारा 251–क के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवेदक को रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 15/03/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक